{ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड {ii} में प्रकाशनार्थ }

.....

25.7.87

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग

...

नई दिल्ली, तारीख 10-7-87

अधिसूचना

का० आ० 1906 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र {अर्जन और विकास} अधिनियम, 1957 {1957 का 20} की धारा 7 की उपधारा {1} के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड {ii} तारीख 18 जनवरी, 1986, भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय {कोयला विभाग} की अधिसूचना सं० 158 तारीख 26 दिसम्बर, 1985 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 90.00 एकड़ {लगभग} या 36.42 हेक्टर {लगभग} माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 90.00 एकड़ {लगभग} या 36.42 हेक्टर {लगभग} माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा {1} द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 90.00 एकड़ {लगभग} या 36.42 हेक्टर {लगभग} माप की भूमि का अर्जन किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त गिरिडीह {बिहार} के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड {राजस्व अनुभाग} दरभंगा हाउस, रांची {बिहार} के कार्यालय में किया जा सकता है ।

-.....

अनुसूची

पश्चिम धोरी-विस्तारण-।
ब्लाक पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र
जिला गिरिडीह (बिहार)

ड्राइंग सं० राजस्व/23/86
तारीख : 26-5-1986
(अर्जित की गई भूमि)

सभी अधिकार

क्र०सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	एमलो	बर्मो	64	गिरिडीह	90.00	भाग

कुल क्षेत्र : 90.00 एकड़ (लगभग)
या 36.42 हेक्टर (लगभग)

एमलो ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं०

23(भाग), 25(भाग), 26(भाग), 28(भाग), 32(भाग), 33(भाग), 47(भाग), 48 से 51, 52(भाग), 53(भाग), 55(भाग), 56(भाग), 57 से 61, 62(भाग), 91(भाग), और 135(भाग).

सीमा वर्णन :

क - ख रेखा, एमलो और कारे ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ साथ जाती है (जो कारे ब्लाक विस्तारण की पूर्वी सीमा के साथ साथ सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है) ।

ख - ग रेखा, एमलो ग्राम से होकर जाती है (जो धोरी विस्तारण की उत्तरी सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है)।

...../-

ग - घ रेखा, एमली ग्राम के प्लाट सं0 135, 91 और 47 में से होकर जाती है ।

घ - क रेखा, एमली ग्राम के प्लाट सं0 47, 62, 55, 56, 53, 52, 32, 28, 26, 25, 23 और 33 में से होकर जाती है और बिन्दु "क" पर मिलती है ।

(समय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
(सं0 43019/14/84-सी.ए.)

सेवा में

सहायक प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।